अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 285/2012

ब्रह्मदेव यादव एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

सहामत मियाँ एवं अन्य —— रेसपान्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद ब्रम्हदेव यादव पिता स्व रामजी यादव, राजेन्द्र यादव पिता स्व0 रामजी यादव, एवं रामजी रजक, पिता– हिया रजक, ग्राम– पारसबन्नी जमाल नगर धोबिया टोला, थाना –सलखुआ, ओ0 पी0 बनमा ईटहरी, जिला –सहरसा द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या 20/11 सहामत मियां बनाम मो0 चुल्हामियां वगैरह में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

संक्षेप में अपीलार्थी का वाद यह है कि नया खाता संख्याः 587, नया खेसरा सं०: 1738 रकवाः 15 डिसमल हफीज मियाँ के स्वामित्व में थी एवं नया खेसरा सं०: 2289 रकवा 12 डिसमल भी हफीज मियाँ के स्वामित्व में थी। हफीज मियाँ की मृत्यु के पश्चात् उनके एकमात्र पुत्र चुल्लाई मियाँ एवं पुत्र हबिज मियाँ के पुत्र मो0 मसरफ , मो0 असरफ एवं अलाउद्दीन ने भूमि रामजी रजक (अपीलार्थी) को दिनांकः 15.01.1986 को बेच दी तत्पश्चात् क्रेता रामजी रजक उक्त भूमि के दखलकार हैं एवं उन्होंने अपना नाम बिहार सरकार सिरिस्ता में दर्ज कराया तथा जमाबंदी संख्याः 41 चलती है। दूसरा केबाला के माध्यम से चुल्हाई मियाँ एवं मो० मशरफ ने दिनांक 16.07.1985 को नया खाता सं०: 587, नया खेसरा सं०: 1738, के रकवाः 3 कट्ठा भूमि रामजी यादव को बेच दी तत्पश्चात् क्रेता खरीदगी भूमि पर दखलकार है एवं जमाबंदी संख्याः 829 चलती है।

यह कि शहामत मियॉ द्वारा विद्वान भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में एक वाद दाखिल किया गया। आवेदन में वर्षः 1985 में प्रकाि ात अंतिम खतियान एवं हाल सर्वे खतियान में दर्ज प्रविश्टि को गलत एवं अवैधानिक करार दिया गया। सुनवाई के उपरांत विद्वान भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा दिनांकः 30.06.2012 को

अवैधानिक आदेश पारित किया गया।

अपील आवेदन में अपीलार्थी का कथन है कि विज्ञ निम्न न्यायालय का उक्त आदेश विधि के प्रावधान एवं तथ्यों के सर्वथा विरूद्ध है। विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप वाद का परिशीलन नहीं किया गया। हाल सर्वे के दौरान सर्वे अमलिजन ने हाफिज मियाँ को वर्ष 1963–64 में भूमि पर दखल एवं स्वामित्व में पाया एवं सर्वे वर्ष 1985 में फाईनल हो चुका है। 27–28 वर्षो के उपरांत हाल सर्वे खतियान एवं हाफिज मियाँ के स्वामित्व को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा गलत नहीं करार दिया जा सकता। सर्वे खतियान के प्रकाशन के तीन वर्षो के अंदर जिला के जिलाधिकारी जो कि बन्दोबस्त पदाधिकारी हैं, को हाल सर्वे खतियान को निरस्त करने का अधिकार है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता उक्त हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं हैं। आगे यह भी कथन है कि उक्त प्रश्नगत् भूमि पर सहामत मियाँ का कोई अधिकार एवं स्वामित्व नहीं है एवं सहामत मियाँ द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायादेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया। विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं रहने पर भी दिनांकः 30.06.2012 को आदेश पारित किया गया जो कि अवैधानिक एवं गलत है। अंचल अधिकारी, बनमा ईटहरी का प्रतिवेदन पत्रांकः 290 दिनांकः 15.07.2011 जो कि अभिलेख में संलग्न है परन्तु विद्वान भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा अपने आदेश में उपरोक्त प्रतिवेदन का उल्लेख नहीं किया गया है अतएव भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश अवैधानिक है। सहामत मियाँ एवं उनके पिता ने अपनी भूमि बहुत समय पहले ही बेच दी थी।

अपीलार्थी के द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित कागजात की छाया प्रति दाखिल किया गया है जो निम्नप्रकार हैः–

अपीलार्थी के तरफ से केवाला नविस्ते चुल्हाई मियॉ बहक राम जी यादव (अपीलार्थी के पिता) दिनांक 16.07.85. – 5 फर्द

मालगुजारी रसीद जमाबंदी नं0 829 विवादी खेसरा दर्ज है – 1 फर्द

केवाला नविस्ते चुलहाई मियॉ पिता स्व0 मो0 हफीज बहक रामजी रजक दिनांक 16.01.86– – 3 फर्द

अंचलाधिकारी बनमाईटहरी का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 15.07.11–2 फर्द

नापी प्रतिवेदन विवादी खेसरा का 14.11.11 – – 2 फर्द

हाल सर्वे खतियान खाता 587 –1 फर्द

रेस्पान्डेन्टस् द्वारा कोई लिखित जबाब नहीं दिया गया। मात्र रेस्पान्डेन्टस् प्रथम पक्ष द्वारा आर.एस. खतियान खाता–587, 479, 563 एवं 620 की छाया प्रति– 2 फर्द उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख पर संलग्न है।

. अभिलेख रक्षित अंचलाधिकारी बनमा ईटहरी के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 15.07.11 में यह अंकित किया गया है कि केवाला के आधार पर ब्रम्हदेव यादव एवं राजेन्द्र यादव वल्द स्व0 रामजी यादव खाता संख्या 587 खेसरा 1738 रकबा 3 कट्ठा के दखल कब्जे में हैं, जिसका बिक्रेता चुल्लाह मियॉ द्वारा किया गया है।

खतियानी रैयत का नाम स्व0 हफीज मियॉ है, जिसका लड़का चुल्लाह मियॉ द्वारा केबाला किया गया है ।

. केबाला के आधार पर रामजी रजक, पिता– स्व0 हिया रजक, खाता संख्या 587 खेसरा 2289 रकबा 4 कट्ठा छः धूर के दखल कब्जे में है जिसका बिकेता मो0 मशरफ मो0 असरफ, मो0 अलाउद्दीन पे0 नवीज मियॉ तथा मो0 चुल्हाह पिता– स्व0 हफीज मियॉ द्वारा किया गया है।

इसका खतियानी रैयत स्व0 हफीज मियॉ है जिसका लड़का चुल्लाह

मियाँ द्वारा केवाला किया है।

जॉच प्रतिवेदन में आगे यह भी अंकित किया गया है कि –स्थल का जॉच (जॉच प्रतिवेदन में अंकित ग्रामीण) उपरोक्त उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष की गई। जॉच के क्रम में लोगों ने बताया कि खाता पुराना 44 नया 587 खेसरा पुराना 944 नया 1738 रकबा 16 कट्ठा 19 धूर खाता पूराना 44 नया 587 खेसरा पुराना 962 नया 2289 रकबा 1 बिगहा 1 कट्ठा 1 धूर जमीन का आधा–आधा का हिस्सेदार वादी एवं प्रतिवादी हुए। वादी के खानदान के लोग उपर्युक्त अपने आधे हिस्से के जमीन पूर्व में ही सबकुछ बेच दिये है। पुराना 944 नया 1738 में से लगभग चार कट्ठा जागेश्वर भगत तथा शेष रामौतार भगत के हाथ बेच दिया एवं खेसरा पुराना 962 नया 2289 में से 5 कट्ठा दाहौर के नाम तथा 5 कट्ठा स्व0 हितली मंडल के नाम से बेचा है। इस प्रकार उनके हिस्से की जमीन शून्य हो गई।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं का सुना एवं कागजातों का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय पर दो स्थलीय जॉच प्रतिवेदन रक्षित है। प्रथम स्थलीय जॉच प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, बनमाईटहरी से प्राप्त किया गया है जो अभिलेख के कमांक 138 पर रक्षित है। दूसरा स्थल जॉच प्रतिवेदन अपीलार्थी/प्रतिवादी के अनुरोध पर अंचलाधिकारी बनमाईटहरी से प्राप्त किया गया है, जो अभिलेख के कमांक 93 पर रक्षित है।

अतएवं सम्यक विचारोपरान्त अपीलार्थीगण का अपील आवेदन स्वीकृत । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर को विवादित स्थल का स्वयं स्थल जॉचकर जॉच में प्रकाश में आये तथ्यों एवं उभय पक्षों के साक्ष्य/कागजात के सुक्ष्म परिशीलनोपरांत समुचित आदेश पारित करने हेतु Remand किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

9/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा